वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (छ) प्रश्न में बड़े औद्योगिक घरानों को वर्गीकृत करने के मानदंडों को स्पष्ट नहीं किया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निधि आधारित सीमाओं के आकार के अनुसार क्रम प्राप्त दस बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा 31 मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सीमाएं क्रमशः 11,945.99 करोड़ रुपए और 7,043.59 करोड़ रुपए थीं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

बैंक/वित्तीय संस्थायें निर्धारित किए गए अपने नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी देय राशियों की वसूली करने के लिए कार्रवाई करती हैं । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के देय ऋणों पर शीघ्र न्यायनिर्णय देने तथा उनकी वसूली को सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया ताकि बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली की जा सके । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करने वाले ऋणकर्ताओं से संबंधित सूचना प्रकट करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अप्रैल, 1994 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं । इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ऋणकर्ता खातों का ब्यौरा, जिन्हें संदिग्ध, हानि और एक करोड़ रुपए या अधिक की बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) वाले मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सूचना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करने का प्रावधान है ताकि वे उस सूचना का इस समय उपयोग कर सकें जब वे वर्तमान और नए ग्राहकों द्वारा की गई नई अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोधों पर विचार कर रहे हों । इस प्रकार एकत्र की गई सूचना के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बुकलेट फार्म में ऐसे ऋणकर्ता खातों की सूची प्रकाशित की है जिनके विरुद्ध बैंकों ने निधियों की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए हैं (31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार) । बुकलेट की एक प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में रखी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती

217. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोगों को श्रेणीवार भर्ती किया गया है ;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चालू वर्ष के दौरान अब तक अन्य पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं ; और उनका श्रेणी-वार प्रतिशत कितना है ; और

(ग) 31 मार्च, 1994 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिलाओं का श्रेणी-वार प्रतिनिधित्व कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के सिवाय) में विभिन्न संवर्गों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था :—

संवर्ग	कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता
अधिकारी	237719	11010	4.63
लिपिक	447170	87067	19.47
अधीनस्थ स्टाफ	176777	7340	4.15
सफाई कर्मचारी (अंशकालिक सफाई कर्मचारियों सहित)	30050	9985	33.23

31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र में, सभी ग्रेडों में 8001 कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों की संख्या 716 (8.95%) थी।

जाली शेयर प्रमाण-पत्रों का प्रचलन

218. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाली शेयर प्रमाण-पत्रों के प्रचलन में बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है , और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) देश में जाली शेयर प्रमाणपत्रों के परिचालन की सीमा के बारे में कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

(ग) सरकार और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे अन्य संबंधित अभिकरण जाली शेयर प्रमाणपत्रों के परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए निरन्तर सतर्कता बरत रहे हैं ।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हो रहा घाटा

219. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किन-किन कारणों से घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या इन कारणों को दूर किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या इस क्षेत्र के कर्मचारियों की लापरवाही और उनके कदाचार के कारण भी उक्त घाटा हो रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की दलील और उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?